प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भवनि० ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :- प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष : 2022
प्रवस्वरिव सं 19/22 दिनांक 22/1/2022
2. (1) अधिनियम भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018धाराए
(2) अधिनियमधाराए
(3) अधिनि <mark>यमधाराए</mark>
(4) अन्य <mark>अधिनियम एवं</mark>
3. (क) घटना का दिन :- शुक्रवार
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या <u>36</u> समय <u>6'00 pm</u>
4. सूचना क <mark>ैसे प्राप्त हुई— (लिखित/मीखिक) लिखित</mark>
5. घटनास्थ <mark>वा का ब्योरा :</mark>
(क) थाने से दिशा एवं दूरी — चौकी से दक्षिण—पश्चिम दिशा बफासला करीब 110 किमी
बीट संख्याजुरामदेही सं
(ख) पताः - कार्यालय ग्राम पंचायत २ एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम
६. शिकायत <mark>क</mark> र्ता∕ इतिला देने वाला :
(क) नाम :- श्री कृष्णलाल
(ख) पिता / <mark>प</mark> ति का नाम :- श्री देवीलाल
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- 34 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयत <mark>ा — भारतीय</mark>
(ड़) पासपोर्ट <mark>संख्या</mark>
(च) व्यवसाय <mark>:</mark>
(छ) पता :— निवासी गांव २ एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । 7. ज्ञात/सं <mark>दि</mark> ग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :—
 वृजलाल पुत्र श्री खीयाराम उम्र ४४ साल निवासी गांव जानकीदासवाला (चक 11 एसडी) तहसील सूरतगढ हाल किनेष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. शिकायत इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई <mark>/</mark> लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
परिवादी श्री कृष्णलाल द्वारा ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता)में भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० का कार्य बतौर मेट पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर परिवादी द्वारा श्रमिकों के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल०डी०सी० को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिकों का माह नवम्बर—दिसम्बर 2021 में भुगतान खातों में आ चुका है। अब श्री बृजलाल एल०डी०सी० नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले परिवादी से पिछले वंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेट 6,000—7,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था एव परिवादी पर लोगों की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर परिवादी की रिपोर्ट पर व्यूरो द्वारा दिनांक 18.01.22 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से आरोपी बृजलाल एलडीसी द्वारा रिश्वत के लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष व्यवत के लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष व्यवत व सं लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष व्यवत व सं लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष व्यवत व सं लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष व्यवत व सं लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष व्यवत सं लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष विवयत स्वयापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष विवयत स्वयापन एलडीसी द्वारा रिश्वत राशि 5,000/रूपये लेने पर रंगे हाथों गिरपतार करना आदि आरोप है।
10. चोरी हुई / लिखित सम्पति का कुल मूल्य :5,000 / रू



सेवामें

भीमान अति०पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषय: — भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड्वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति कुम्हार उम्र 34 साल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एहने वाला हूँ। हमारे ग्राम पंचायत चक 2 एसडी (संगीता) है। मै हमारी ग्राम पंचायत में करीब 8—10 वर्षों से मनरेगा योजना में मेट का कार्य करता हूं। वर्तमान में हमारी ग्राम पंचायत में श्री बुजलाल एल0डी0सी0 है, जो मनरेगा कार्य को देखता है। मेरे द्वारा भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 का कार्य बतौर मेट पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर मेरे द्वारा श्रमिको के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल०डी०सी० को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिको का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भुगतान खातो में आ चुका है। अब श्री बुजलाल एल०डी०सी० नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले मेरे से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000 / रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे पर लोगो की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा 6,000-7,000 / रूपये रिश्वत के नही देने पर बुजलाल एल0डी0सी0 द्वारा मुझे नये कार्य का बतौर मेट मस्ट्रोल जारी कर नहीं दे रहा है। मैं श्री बृजलाल एल0डी0सी0 को रिश्वत नहीं देना चाहता, उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री बृजलाल एल०डी०सी० से कोई रंजिश नहीं है, ना ही कोई उधार का लेन देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्राथी एसडी कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर मो.न. 96642-07674 दिनांक :- 17.01.2022

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :- 17.01.2022 समय :- 10.30 एएम स्थान:- ब्यूरो कार्यालय, श्रीगंगानगर-प्रथम

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति कुम्हार उम्र 34 साल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं प्रार्थना पत्र जानकार से कम्प्यूटर टाईप करवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजिद दरियाफ्त पर बताया कि वह करीब 8-10 वर्षों से मनरेगा योजना में मेट का कार्य करता हूं। हमारी ग्राम पंचायत चक 2 एसडी (संगीता) में श्री बुजलाल एल0डी0सी0 है, जो मनरेगा कार्य देखता है, मेरे द्वारा बतौर मेट भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक ३ एस०एल०डी० का कार्य पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर मेरे द्वारा श्रमिको के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल०डी०सी० को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिको का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भूगतान खातो में आ चुका है। श्री बृजलाल एल0डी0सी0 नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले मेरे से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000 / रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे पर लोगो की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा बृजलाल एल०डी०सी० को 6,000-7,000 / रूपये रिश्वत के नहीं देने पर वह मुझे नये कार्य का बतौर मेट मस्ट्रोल जारी कर नहीं दे रहा है। मैं श्री वृजलाल एल0डी0सी0 को रिश्वत नहीं देना चाहता, उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। इस प्रकार परिवादी के पार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी कृष्णलाल को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि मै कल आरोपी से रिश्वत के सम्बधं में बातचीत कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री आशीष कुमार कानि0 से परिचय करवाया गया एवं दोनों के एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 18.01.2022 वक्त 8.30 एएम पर श्री आशीष कुमार कानि० को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर सत्यापन करवाने हेतु बजानिब ग्राम पंचायत संगीता तहसील सूर<mark>ग</mark>गढ की ओर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब की जाकर शामिल कागजात की गई। तत्पश्चात दिनांक 20.01.2022 वक्त 6.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस राज कार्य से बाहर गया हुआ ब्यूरो कार्याल<mark>य उपस्थित आया। जिस पर श्री आशीष कुमार कानि० ने बताया कि दिनांक 18.01.22 को मैं</mark> परिवादी से तय अनुसार सूरतगढ से अनुपगढ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित गांव कर्मली की ढाणी के पास मिला था, जहां परिवादी से आरोपी बुजलाल वक्त करीब 12-12.15 बजे दोपहर में आकर



परिवादी से मिला था। परिवादी ने आरोपी से अपने कार्य के सम्बंध में बातचीत की तथा परिवादी द्वारा बतौर मेट करवाये गये पिछले मस्टरोल के 6500/रूपये रिश्वत के देना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन आरोपी को वे दिये तथा शेष 5000 / रूपये कल परसो देने की बात की थी। उक्त वार्ता परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। बाद सत्यापन परिवादी ने उक्त वार्ता का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेरे सुपुर्द कर दिया था। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वही छोड़ दिया एवं में रवाना होकर उसी दिन शाम को ब्यूरों कार्यालय पहूंचा एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित मालखाना में रख दिया था। जिस पर श्री आशीष कुमार कानि0 से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मालखाना से निकलवाकर सुना गया तो उक्त रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। दिनांक 21.01.2022 वक्त 8.00 एएम पर तयनुसार परिवादी श्री कृष्णलाल ब्यूरो कार्यालय उपरिथत आया एवं बताया कि दिनांक 18.01.22 को श्री आशीष कुमार कानि० मुझे तय अनुसार सूरतगढ़ से अनूपगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित गांव कर्मली की ढाणी के पास मिला था, जहां आशीष कुमार कानि. ने मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया था और वह गोपनीय स्थान पर रूक गया। फिर उसी स्थान पर आरोपी बुजलाल वक्त करीब 12—12.15 बजे दोपहर में आकर मेरे से मिला था। जिस पर मैने बुजलाल एलडीसी से अपने कार्य के सम्बधं में बातचीत की तथा मेरे द्वारा बतौर मेट करवाये गये पिछले मस्टरोल के 500 / रूपये रिश्वत के देना तय करते हुये 1500 / रूपये वक्त सत्यापन बृजलाल एलडीसी को दे दिये तथा शेष 5000 / रूपये कल परसो देने की बात की थी। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। फिर यह रिकॉर्ड वार्ता वाला डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री आशीष कुमार कानि० को दे दिया एवं मै वहीं से अपने गांव चला गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी नें बताया कि मै आरोपी को आज ही रिश्वत राशि दूंगा, रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 / रूपये अपने साथ लेकर आया हूं। वक्त 10.00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष दो सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों को भिजवाने हेतू निवेदन किये जाने पर गवाह श्री गोरूराम वरिष्ठ सहायक एवं श्री विकास कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित. आये। दोनों कर्मचारियों को तलबी का कारण बताकर उनसे कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो गर्वाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। जिस पर परिवादी कृष्णलाल से दोनो गवाहान को आपसी परिवय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री कृष्णलाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/-रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये।प्रस्तुत नोटों के विवरण निम्नानुसार है:-

2CB 625501 2CB 625502
2CB 625503
2CB 625504
2CB 625505
2CB 625506
2CB 625507
2CB 625508
2CB 625509
3GR 064968

तत्पश्चात श्री लीलाधर मु०आ० से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त प्रस्तुत 5,000/—रूपये के नोटो पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाते हुये फिनॉफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री गोरूराम से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000/रू के नोटो को श्री लीलाधर मु०आ० के जरिये परिवादी के उपरी बांयी साईड की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को बतौर रिश्वत देवे व आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बरों पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखें जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री लीलाधर

GV/

मु०आ० के हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को धूलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री लीलाधर मु०आ० के हाथो, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियों व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासों को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उददेश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री कृष्णलाल को सुपूर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 11.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री कृष्णलाल, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री गोरूराम, श्री विकास व ब्यूरो स्टाफ मय लेपटोप-प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी टवेरा गाड़ी व प्राईवेट कार से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर गांव 2 एसडी(संगीता) तहसील सुरतगढ के नजदीक पहुंचा। जहां आरोपी के सम्बध में मालूमात करवाया गया तो ग्राम पंचायत बैठक में व्यस्त होना ज्ञात हुआ। जिस पर मय हमराहीयान के गांव संगीता से आगे निकलकर गोपनीय स्थान पर पहूंच मुकिम हुआ। वक्त 03.30 पीएम पर परिवादी कृष्णलाल द्वारा मालूमात कर बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक हो चुकी है, आरोपी ग्राम पंचायत भवन में बैठा है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान से रवाना होकर गांव 2 एसडी (संगीता) के ग्राम पंचायत भवन (संगीता ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवन में संचालित) के नजदीक पहुंच वाहनों को रूकवाकर परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) की ओर रवाना करते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस सहित हमराही ट्रेप पार्टी सदस्यों ने उक्त कार्यालय के इर्द गिर्द मुकिम होकर मोर्चा लिया गया। वक्त 04.00 पीएम पर परिवादी कृष्णलाल ने कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) से बाहर निकलकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब परिवादी कृष्णलाल के पास पहुंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये बताया कि आरोपी बृजलाल अपने कार्यालय में बैठा है, जिसने मेरे से मेरे द्वारा बतौर मेट करवाये भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० सम्बधी कार्य के मस्ट्रोल पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक के किये गये भुगतान की एवज में व नये कार्य के मस्ट्रोल में बतौर मेट लगाने की एवज में अभी-अभी मेरे से 5000 / रूपये रिश्वत के लेकर अपने पहनी पेट की पिछे की बांयी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर परिवादी को साथ लेकर उसके बताये अनुसार कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता)जो कि संगीता ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवन में संचालित है, में पूर्व दिशा में खुलते कमरा में पहुंचा, जहां सामने कुर्सी पर बैठे नोजवान की तरफ परिवादी ने ईशारा कर उसे बृजलाल एलडीसी होना बताया एवं रिश्वत के सम्बधं में अपने उक्त कथन पुनः किये। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बृजलाल पुत्र श्री खीयाराम उग्र 44 साल निवासी गांव जानकीदासवाला (चक 11 एसडी) तहसील सूरतगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी कृष्णालाल से सम्बधित कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब यह कृष्णलाल मस्ट्रोल नम्बर 12776 पंखवाड़ा दिनांक 01.10.21 से 15.10.21 तक व मस्ट्रोल नम्बर 13003 पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक मनरेगा के तहत भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० के कार्य पर मेट नियुक्त था। उक्त दोनो मस्ट्रोलस के भूगतान पंचायत समिति द्वारा सम्बधित श्रमिको को किये जा चुके है। मैने इससे कोई रिश्वत नहीं मांगी थी, चार-पांच दिन पहले मैंने इसको पांच हजार रूपये उधार देने का कहा था, मैंने इससे पांच हजार रूपये उधार स्वरूप ही लिये है। फिर आरोपी बुजलाल से पूछा गया कि आपने दिनांक 18.01.2022 को भी इससे 1500/रूपये लिये थे वह किस बात के लिये थे, इस पर आरोपी ने कहा कि वो भी मैने इससे उधार ही लिये थे। इसका मेरे पास कोई काम नही है। इस पर परिवादी कृष्णलाल ने स्वतः ही रूबरू गवाहान आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि साहब मेरे द्वारा मनरेगा के तहत भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पार्वशाला चक 3 एस०एल०डी० का कार्य बतौर मेट करवाया गया था, बुजलाल ने मेरे को कहा था कि तु फर्जी हाजरी लगाता है, यदि तु मेरे को पिछले मस्ट्रोल के 6,000-7,000 / रूपये देगा तो मै तुझे आगे नये कार्य के मस्ट्रोल पर मेट रख दूंगा, नहीं तो तेरे को पंचायत में कोई काम नहीं दूंगा। जिस पर मेरे द्वारा आपके कार्यालय में आरोपी के खिलाफ दी गई रिपोर्ट पर आप द्वारा दिनांक 18.01.22 को मेरे से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था, जिस दौरान बुजलाल ने 6500/रूपये रिश्वत के लेना तय करके 1500/रूपये उसी दौरान ले लिये थे, आज बकाया रिश्वत राशि के रूप में 5000 / रूपये रिश्वत के ही आरोपी बुजलाल को दिये है। इस पर आरोपी बुजलाल को पुनः पूछा गया तो वह चूप रहा। उक्त घटनाकम से परिवादी व आरोपी वृजलाल के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी बृजलाल के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी टवेरा गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्षित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी बुजलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं

38

अंगुठे को जुबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्वोनेट तैयार घोल में आरोपी बृजलाल के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुनवाया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वारते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी बृजलाल से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने पहनी पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री विकास से आरोपी के पहनी पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500-500 / रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500-500 / रू के दस नोट कुल 5,000 / रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर दोनों गवाहान ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशदा राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटों को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामद्गी स्थान आरोपी की पहनी बरंग नेवी ब्लयू पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब धुलवाने के लिये एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी बृजलाल के पहनी पेन्ट को उतरवाते हुये व दूसरा लॉअर पहनने को दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'पी-1, पी-2' अंकित कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धूलाई के पश्चात पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब को सुखाकर उस पर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी बुजलाल से मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में करवाये जाने वाले कार्यो से सम्बधित मस्टरोल रजिस्टर व परिवादी कृष्णलाल द्वारा बतौर मेट करवाये गये भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० से सम्बधित मस्टरोल का पूछा तो आरोपी बुजलाल ने अपने कार्यालय में रखी लोहे की अलमारी में से निकालकर उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये। मस्टरोल रजिस्टर का अवलोकन करने पर अंतिम प्रविष्ठी दिनांक 15.01.22 में किया होना पाया गया। जिस पर अंतिम प्रविष्ठि के नीचे मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने व गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर वामिस आरोपी बुजलाल के जरिये अलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली जिस पर भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० लिखा हुआ है, जिसमें मस्ट्रोल नम्बर 12776 पंखवाड़ा दिनांक 01.10.21 से 15.10.21 तक व मस्ट्रोल नम्बर 13003 पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक, कार्य से सम्बधित तकनीकी स्वीकृति, वित्तिय/प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सम्बंधी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख शामिल है, उक्त पत्रावली प्रकरण में वजह सबूत होने से साथ में ली गई। सामान्तर कार्यवाही कर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पर अलग से तहरीर किया गया। चूंकि घटनास्थल गामीण क्षेत्र में है तथा बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नही है, ग्रामीण क्षेत्र होने से किसी भी समय कार्यवाही में बाधा आ सकती है, ऐसी परिस्थितियों के तहत आगे की कार्यवाही मौका पर किया जाना सम्भव नहीं होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी, आरोपी व ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर रवाना होकर पुलिस थाना सदर सूरतगढ पहूंच आरोपी बृजलाल द्वारा प्रस्तुत भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० के कार्य की मूल पत्रावली जरिये फर्द जब्त की जिकर फर्द जब्ती अभिलेख मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी व सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसिकप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी बुजलाल कनिष्ठ सहायक को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी कृष्णलाल को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी बुजलाल, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर पहुंचा। जहां पर आरोपी बृजलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मौका से मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 5,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा पेन्ट, दो शील्डशुदा सीडी, जन्तशुदा आमिलेख आदि श्री लीलाधर मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी बुजलाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को वास्ते सूरक्षा पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर की हवालात में जमा करवाया गया।



इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल निवासी गांव चक 2 एर डी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता)में भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० का कार्य बतौर मेट पंखवाड़ा दिनांक 15. 10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर परिवादी द्वारा श्रमिको के मस्टोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल0डी0सी0 को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिको का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भुगतान खातो में आ चुका है। अब श्री बृजलाल एल0डी0सी0 नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले परिवादी से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000 / रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था एव परिवादी पर लोगों की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐउने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर परिवादी की रिपोर्ट पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 18.01.22 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से आरोपी बृजनाल एल0डी0सी0 द्वारा 6500/रूपये रिश्वत के लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष 5000/रूपये बाद में लेना तय किया। उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 21.01.2022 को कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) में परिवादी कृष्णलाल से आरोपी बृजलाल एल०डी०सी० द्वारा रिश्वत राशि 5,000 / रूपये प्राप्त कर अपने पहनी पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी बृजलाल के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेव से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना, वक्त ट्रेप परिवादी द्वारा बतौर मेट करवाये गये कार्य से सम्बधिंत पत्रावली आरोपी से बरामद होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी वृजलाल किनेष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उवत पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी बृजलाल से 5,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम २०१८ का घटित होना पाये जाने पर आरोपी बृजलाल पुत्र श्री खीयाराम जाति मेघवाल उम्र 44 साल निवासी गांव जानकीदासवाला (चक 11 एसडी) तहसील सूर्तगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

> (भुर्पेन्द्र कुमेरि) उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर—प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत जुर्म ७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री बृजलाल, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 19/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 160-64 दिनांक 22.1.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।